सं. 27-20/2018-पीओ
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(पीओ डिवीजन)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 17.05.2021

प्रति,
सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ पोस्टमास्टर जनरल,
मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय/ पार्सल निदेशालय/ डाक जीवन बीमा निदेशालय/
सीईपीटी,
निदेशक, आरएकेएनपीए/ सभी डाक प्रशिक्षण केन्द्र
सभी महाप्रबंधक (वित्त)/ डीएपी

विषय: देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न व्यवधान के मद्देनजर फ्रैंक मेल पोस्ट करने के संबंध में अनुदेश।

ये अनुदेश कोविड -19 की दूसरी लहर के अचानक फैलने और देश के विभिन्न भागों में लगाए गए लॉकडाउन / कोविड -कर्फ्यू के कारण देश में उत्पन्न हुए व्यवधान के संबंध में है। देश में कई अन्य सेवाओं की तरह, डाक सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं।

2. देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन/ कोविड- कर्फ्यू लगाया गया है, और विभिन्न राज्यों/जिलों/स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के फैलने की गंभीरता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से संभवत: उसी प्रकार हटाया भी जाएगा। राज्यों में लॉकडाउन और कोविड-कर्फ्यू के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रैंकिंग प्रचालन प्रभावित हुआ हो और लॉकडाउन से ठीक पहले तैयार फ्रैंक मेल फ्रैंकिंग उपयोगकर्ताओं के पास ही रह गए हों और उसके बाद नीचे पैरा 3 में वर्णित मौजूदा निर्णयों के अनुसार उस डाक को पोस्ट नहीं किया जा सका हो। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने और लंबित फ्रैंक मेल के उचित निपटान के लिए, अगले बिंदु में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

3. आरएमएफएम के एसओपी दिनांक 11.08.2010 के अनुसार, किसी डाक को जिस दिन फ्रैंक किया गया, किसी कारणवश उसी दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सका, तो उसे ठीक अगले दिन संबंधित कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यदि अगले दिन सप्ताहांत हो, या लगातार छुट्टियां हों, तो डाक अगले कार्य दिवस को भी स्वीकार किया जाएगा। इस समय सीमा के बाद फ्रैंक मेल को पोस्ट करने की कोई अन्य प्रक्रिया नहीं होगी। चूंकि इस बात की संभावना है कि लॉक डाउन लागू होने से ठीक पहले या (राज्य / जिला / स्थानीय) लॉकडाउन

के दौरान उपयोगकर्ताओं / मेलर के द्वारा अपने फ्रैंकिंग / पोस्टिंग क्षेत्र में कुछ डाक फ्रैंक किए गए हों, लेकिन पोस्ट नहीं किए जा सके और उनके पास लंबित पड़े हों।

4. तदनुसार, यह अनुदेश दिया जाता है कि (राज्य / जिला / स्थानीय स्तर के) लॉकडाउन हटाए जाने के बाद संबंधित डाकघरों द्वारा इस तरह के लंबित फ्रैंक मेल स्वीकार किए जाएं। यह एक अस्थायी व्यवस्था होगी और (राज्य/जिला स्थानीय स्तर पर) लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अगले 7 कार्य दिवसों तक लागू रहेगी। चूंकि देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन/ कोविड- कर्फ्यू लगाया गया है, और चरणबद्ध तरीके से संभवत: उसी प्रकार हटाया भी जाएगा।

5. राज्य/जिला/ स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन हटाए जाने की तिथि के अनुसार 07 कार्य दिवसों की छूट की यह अवधि अलग-अलग हो सकती है तथा (राज्य/ जिला/ स्थानीय स्तर पर) लॉकडाउन की अवधि के अनुसार विभिन्न अवधि में फ्रैंक किए गए डाक के लिए लागू होगी। संबंधित सीपीएमएसजी राज्य या राज्य के किसी जिले के लिए लंबित फ्रैंक मेल स्वीकार करने की तारीखों को तदनुसार संशोधित कर सकते है। तथापि इस छूट की कुल अवधि केवल 7 कार्य दिवस ही होगी। यदि ऐसा कोई संशोधन किया जाता है, तो इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

6. डाकघरों में डाक स्वीकार करने की प्रक्रिया और अधिकारियों को लंबित फ्रैंक मेल की जांच के लिए पत्र संख्या 27-20/2018 दिनांक 01.05.2020 के तहत जारी अनुदेश लागू होंगे और उन्हीं का पालन किया जाएगा।

7. यदि पुराने फ्रैंक मेल की पोस्टिंग से संबंधित किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो अथवा कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है, तो समुचित कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

8. सुदूर-प्रबंधित फ्रैंकिंग मशीनों के (आरएमएफएम) के सभी मेलर/उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ सभी अधिकारियों / देश भर में बुकिंग, पारेषण और डाक वितरण में शामिल अधिकारियों को इन अनुदेशों से शीघ्र अवगत कराया जाए।

9. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(सुकृति गुप्ता)
सहायक महानिदेशक (पीओ)
फोन: 011 23096005

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठ के अनुसार